भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 960

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु भूमि अधिग्रहण

960. श्री सैयद इम्तियाज़ ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत में गत वर्ष की तुलना में तीगुनी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो भारतमाला परियोजना, एनएचडीपी और अन्य राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के लक्ष्य किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भूमि की आवश्यकता के कारण रुकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य- क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास जंक्शनों/पथकर प्लाजा पर भारी यातायात से बचने के लिए सड़क परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण करने और सड़क परियोजनाओं हेतु वनरोपण के लिए स्थान प्रदान करने के लिए संबंधित राज्यों को निर्देश जारी करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या भूमि का अधिग्रहण उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधर पर किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) एवं (ख): जी, हां। भूमि अधिग्रहण की वार्षिक भुगतान के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2014-15 के बाद से मुआवजे की राशि में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए अंतर्निहित निम्नलिखित शर्तों के कारण हुई है: (i) प्रचलित सर्कल दरों में से उच्चतर मूल्य या पिछले 03 वर्षों के बिक्री-लेन-देन के उच्चतम 50% औसत मूल्य भूमि का बाजार मूल्य होगा;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मूल्य को 'उचित' सरकार द्वारा निर्धारित एक गुणक से गुणा किया जाता हैं; तथा,

(iii) मुआवजा @ 100% की राशि का भुगतान: (क) भूमि का बाजार मूल्य (गुणक से गुणा करके) और (ख) उस पर परिसंपत्तियों के मूल्य (अर्थात फसलों, पेड़ों, तालाबों, इमारतों, बोरवेल, संरचनाओं आदि) को जोड़कर किया जाता है;

(iv) ब्याज @ 12% प्रति वर्ष का भुगतान कब्जा लेने की तिथि या मुआवजे के भुगतान तक जो भी पहले हो 3ए/3 डी अधिसूचना की तिथि से भूमि के बाजार मूल्य पर किया जाता है;

इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय की कुछ सड़क परियोजनाओं में विलंब हुआ है / अवरुद्ध हुई हैं । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण और परियोजना के पूरा होने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

i. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कारगर बनाना
ii. विवाद निपदान तंत्र की पुनर्संरचना
iii. भूमि अधिग्रहण, मंजूरी इत्यादि के अनुसार पर्याप्त तैयारी के पश्चात् परियोजनाओं का ठेका देना। विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया संरेखण के अंतिम रूप देने और अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के साथ साथ शुरु की जाएगी।
iv. ठीक तरह से तैयार किए गए जनसुविधा आकलनों को संरेखन को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् शीघ्रताशीघ्र प्राप्त किया जाएगा और वह मूल्यांकन प्रस्ताव का भाग होगा।
v. परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और तकनीकी अनुसूचियां की प्राप्ति पर शीघ्रताशीघ्र शुरु की जानी चाहिए।
vi. आरओबी : आरओबी के लिए रेलवे द्वारा अनुमोदित जीएडी की प्रक्रिया सरल की गयी है और ऑनलाइन कर दी गयी है। रखरखाव प्रभारें जो कई परियोजनाओं की प्रगति में अवरोध पैदा कर रहीं थी, के लिए रेलवे द्वारा छूट दे दी गयीं हैं। मानक डिजाइन को वेबसाइट पर रखा गया है।
vii. अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वयन
viii. एकबारगी निधि निवेश
ix. बोली प्रक्रिया शुरु करने से पहले मुख्य भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा करना।
x. विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा।
xi. इक्विटी निवेशकों के लिए प्रस्तावित निकास।
xii. सड़क क्षेत्र ऋणों का प्रतिभूतिकरण।
xiii. प्राधिकरण के कारण हुए विलंबों के लिए क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाना।

(ग): मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) ने भारतमाला परियोजना, एनएचडीपी और अन्य राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 6,92,324 करोड़ रु. के परिव्यय को मंजूरी दी है।

(घ): भूमि की आवश्यकता के कारण अवरुद्ध पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) निविदा आरंभ करने से पूर्व भूमि अधिग्रहण के बड़े हिस्से को पूरा करना;
(ii) भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव के अधीन उच्च शक्ति समिति का गठन;
(iii) त्वरित निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन;
(iv) भूमि अधिग्रहण संबंधित मामलों में सहायता के लिए क्षेत्रीय अधिकारी/परियोजना निदेशक स्तर के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर सेवानिवृत्त राजस्व कर्मिकों को नियुक्त करना;
(v) भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के प्रकाशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऑनलाइन जमा करने हेतु भूमि राशि पोर्टल को शुरु करना;
(vi) माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा;
(vii) अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय;
(viii) परियोजना निगरानी समूह और प्रगति पोर्टल के माध्यम से भी मुद्दों का समाधान किया जाता है।

(ड.) एवं (च): जी, नहीं। वर्तमान में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अधिग्रहण / प्रापण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत और / या अनुमोदित सड़क संरेखण के आधार पर संबंधित राज्यों के मौजूदा अधिनियमों / नियमों / नीतियों के अनुसार किया जाता है।

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु भूमि अधिग्रहण' के संबंध में श्री सैयद इम्तियाज़ ज़लील, श्री असादुद्दीन ओवैसी और डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा पूछे गए दिनांक 27.06.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 960 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भूमि की आवश्यकता के कारण अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य / एजेंसी	अवरुद्ध परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	10
5	बिहार	2
6	छत्तीसगढ़	0
7	दिल्ली	0
8	गोवा	5
9	गुजरात	0
10	हरियाणा	0
1 1	हिमाचल प्रदेश	1
12	जम्मू और कश्मीर	0
13	झारखंड	3
14	कर्नाटक	5
15	केरल	0
16	मध्य प्रदेश	1
17	महाराष्ट्र	8
18	मणिपुर	0
19	मेघालय	0
20	मिजोरम	4
21	नगालैंड	0
22	ओडिशा	2
23	पुदुच्चेरी	1
24	पंजाब	5
25	राजस्थान	2
26	सिक्किम	3
27	तमिलनाडु	0
28	तेलंगाना	1
29	त्रिपुरा	0
30	उत्तर प्रदेश	0
31	उत्तराखंड	0
32	पश्चिम बंगाल	6
33	एनएचएआई	48
	कुल	**109**

*****